

बिहार सरकार  
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-09/2026/1683/जे०, पटना, दिनांक 24.02.26

सेवा में,


महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:- व्यवहार न्यायालय, कटिहार के जजेज कॉलोनी में स्थित आवास सं०-डी०-15 के मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य के निमित्त रू० 7,39,400/- 2. आवास सं०-डी०-13 के मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य के निमित्त रू० 8,21,200/- 3. आवास सं०-सी०-09 के मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य के निमित्त रू० 7,55,800/- अर्थात् कुल रू०-23,16,400/- (तेईस लाख सोलह हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से व्यवहार न्यायालय, कटिहार के जजेज कॉलोनी में स्थित आवास सं०-डी०-15 के मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य के निमित्त रू० 7,39,400/- 2. आवास सं०-डी०-13 के मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य के निमित्त रू० 8,21,200/- 3. आवास सं०-सी०-09 के मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य के निमित्त रू० 7,55,800/- अर्थात् कुल रू०-23,16,400/- (तेईस लाख सोलह हजार चार सौ रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त है जिसमें योजनावार, अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिया द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. यह राज्य स्कीम है।
4. इस राशि का विकलन मुख्यशीर्ष-2216-आवास, उप मुख्यशीर्ष-07-अन्य आवास, लघुशीर्ष-053-रख-रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष-0005-न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका विपत्र कोड सं०-03-2216070530005 है।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, कटिहार से की जायेगी।
6. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।  
(पृ०-10/टि०, दिनांक-16.02.2026, सं०सं०- जी०/यो०-31-09/2026)
8. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।  
(पृ०-11/टि०, दिनांक-19.02.2026, सं०सं०- जी०/यो०-31-09/2026)
9. स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-09/2026/1683/जे०, पटना, दिनांक 24.02.26

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-09/2026/1683/जे०, पटना, दिनांक 24.02.26

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-09/2026/1683/जे०, पटना, दिनांक 24.02.26

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

निबंधित

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-09/2026/1683/जे०, पटना, दिनांक 24.02.26

प्रतिलिपि:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार को प्राक्कलन की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु०-यथोक्त।

(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-09/2026/1683/जे०, पटना, दिनांक 24.02.26

प्रतिलिपि:-आई०टी० सैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

23.02.26